

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/146

दिनांक: 21.04.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00140

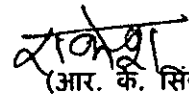
CICOM/R/2016/01612

अपीलकर्ता : कुमारी रजनी देवी, C/o श्री श्रीराम,
मो0 - आदर्शनगर कालोनी,
गली नं. 1, रोजा जं0, जिला - शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश - 242001.

निर्णय की तारीख: 21.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.12.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.01.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	125631/19.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	165/20.04.2017

1. अपीलकर्ता के दिनांक 13.12.2016 के आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.12.2016 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (बी.जे.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


21/04/17

